राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 238वीं बैठक दिनांक 30.08.2019 को 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1	श्री भास्कर ए. सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री भास्कर ए. सावंत	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3.	श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
3	श्री आर. के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4	श्री राजीव जैन	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्रीमती मंजू राजपाल द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1	श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियंता प्रथम, राज.आवासन मण्डल
2	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियंता द्वितीय, राज.आवासन मण्डल
3	श्री एस. के. सिंघल	मुख्य अभियंता, मुख्यालय राज.आवासन मण्डल
4	श्री लेखराज जाग्रत	निदेशक (विधि), राज॰आवा॰मण्डल
5	श्री अनिल कुमार कौशिक	सम्पदा प्रबन्धक, मुख्यालय, राज॰आवा॰मण्डल
6	डा. प्रवीण कुमार	सम्पदा प्रबन्धक(भूमि)
7	श्री नत्थू राम	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम
8	श्री एम.सी.उपाध्याय	अति.मुख्य अभियंता, द्वितीय
9	श्री सीताराम बारी	अति.मुख्य अभियंता, तृतीय
10	श्री विवेक जादौन	सहायक निदेशक (पी.आर.)
11	श्री एम.के. ठोलिया	वरि.लेखाधिकारी

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
238.1	दिनांक 20.06.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 237वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 20.06.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 237वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
238.2	दिनांक 20.06.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 237वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	दिनांक 20.06.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 237वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त गत बैठक के बिन्दु संख्या 236.15 की पालना पर संतोष व्यक्त किया गया हैं तथा निम्न बिन्दुओं के सामने अंकित अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये :–	Secretary

<table>
<tr>
<td></td>
<td>बिन्दु संख्या 237.39 में अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माणादि गतिविधियों के चिन्हीकरण हेतु आवासन मण्डल की सभी योजना भूमि, अधिग्रहित/स्वामित्व की भूमि, अवाप्त/अवाप्ताधीन भूमि का Land Management Electronic Mapping & web data base of Housing Board Properties all over Rajasthan.</td>
<td>237.15(2) में निर्माण लागत में लगायी जानी वाली ब्याज दर में पूर्व प्रस्तावानुसार निम्नांकित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया:'–
<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>आयवर्ग</th><th>ब्याज दर प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>1</td><td>EWS</td><td>6.50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LIG</td><td>7</td></tr>
<tr><td>3</td><td>MIG-A</td><td>8</td></tr>
<tr><td>4</td><td>MIG-B</td><td>9</td></tr>
<tr><td>5</td><td>HIG</td><td>9.50</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Commercial</td><td>10</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Institutional</td><td>10</td></tr>
</table>
उक्तानुसार संशोधित दरें पूर्व निर्मित अधिशेष आवासों पर वर्तमान वर्ष से लागू की जायेगी।

237.39:– राजस्थान आवासन मण्डल स्वामित्व की बेशकिमती भूमि के प्रबन्धक, अतिक्रमण की रोकथाम विवादित न्यायिक प्रकरणों में पैरवी, भूमि सुरक्षा, नामांकरण/ मण्डल भूमि राजस्व का रिकॉर्ड संधारण/Outsource करने हेतु RFP जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बोर्ड में एकमत से समस्त 09 वृत्त कार्यालयों में तहसीलदार के पदों के सृजन करने की स्वीकृति दी गयी तथा इस हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही मण्डल में एक प्रवर्तन शाखा खोलने का निर्णय लिया गया हैं, जिसमे 01 उप अधीक्षक, 02 निरीक्षक तथा इसी अनुरुप हैड कॉस्टेबल, कॉस्टेबल की प्रतिनियुक्ति पर लेने की सहमति हुई तथा राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238.3</td>
<td>मृतक कार्मिक श्री कैलाश चन्द योगी, सुपरवाईजर कनिष्ठ (वर्कचार्ज) के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने बावत्।</td>
<td>प्रस्तावानुसार मृतक कार्मिक श्री कैलाश चन्द योगी, सुपरवाईजर कनिष्ठ (वर्कचार्ज) के आश्रित श्री शुभम कुमार योगी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।</td>
<td>Secretary</td>
</tr>
<tr>
<td>238.4</td>
<td>राजस्थान आवासन मण्डल में उप वित्तीय सलाहकार के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव सीमा हटाने बाबत।</td>
<td>प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल में उप वित्तीय सलाहकार के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुरुप ही न्यूनतम अनुभव सीमा हटाने का निर्णय लिया गया।</td>
<td>Secretary</td>
</tr>
</table>

238.5	परिचलन से पारित प्रस्ताव संख्या 245/2019 के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार परिचलन से पारित प्रस्ताव संख्या 245/2019 की पुष्टि की गयी।	Secretary
238.6	दिनांक 29.05.2019 व 30.05.2019 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के निर्णयों का पुष्टि प्रस्ताव।	प्रस्तावानुसार दिनांक 29.05.2019 व 30.05.2019 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
238.7	शास्त्री नगर योजना, बांसवाडा में माननीय विधायक श्री जीतमल खांट को आवंटित आवास की नवीन लागत निर्धारण कर निस्तारित करने की प्रशासनिक स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार शास्त्री नगर योजना, बांसवाडा में माननीय विधायक श्री जीतमल खांट को आवंटित आवास को वर्तमान लागत पर दिये जांने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
238.8	राजस्थान आवासन बोर्ड की संचालक मण्डल की बैठक संख्या 237 के बिन्दु संख्या 237.32, 237.33 एवं 237.35 में आवासों/फ्लेट्स की संख्या में हुई टंकण त्रुटि में सुधार की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन बोर्ड की संचालक मण्डल की बैठक संख्या 237 के बिन्दु संख्या 237.32, 237.33 एवं 237.35 में आवासों/फ्लेट्स की संख्या में हुई टंकण त्रुटि में सुधार की स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
238.9	आवास संख्या 3/88, पुरानी आवासीय योजना, हनुमानगढ के पंजीयन पश्चात बैचान किये जाने के कारण पश्चातवर्ती क्रेता का नाम मण्डल रिकॉर्ड में हस्तानान्तरण बाबत्।	प्रस्ताव में वर्णित प्रकरण उप आवासन आयुक्त स्तर पर निस्तारण किये जाने एवं संचालक मण्डल की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव नहीं लाने के निर्देश दिये गये तथा प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	CEM
238.10	आवास संख्या 7/94, पुरानी आवासीय योजना, हनुमानगढ के पंजीयन पश्चात बैचान किये जाने के कारण पश्चातवर्ती क्रेता का नाम मण्डल रिकॉर्ड में हस्तानान्तरण बाबत्।	प्रस्ताव में वर्णित प्रकरण उप आवासन आयुक्त स्तर पर निस्तारण किये जाने एवं संचालक मण्डल की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव नहीं लाने के निर्देश दिये गये तथा प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	CEM
238.11	मकान संख्या 6–एच–287, कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर प्लिन्थ लेवल आवास पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर प्रशासनिक शुल्क वसूल करने के संबंध में।	प्रस्ताव में वर्णित प्रकरण से समान प्रकृति के प्रकरणों में एक सामान्य आदेश जारी कर दिनांक 30.11.2019 तक आवेदन लिया जावे एवं 30 दिन के भीतर निस्तारण किया जाये। निर्धारित अवधि में यदि कोई आवंटी आवेदन नहीं करता हैं तो आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
238.12	स्वीकृति जारी करने की शक्तियों एवं निविदा स्वीकृति संबंधी नवीन प्रत्यायोजित शक्तियों को छोडकर राजस्थान आवासन मण्डल में निर्माण कार्यो के लिये प्रभावी शक्तियों की संशोधित प्रत्यायोजन अनुसूची–2000 (Revised Schedule of Powers-2000) को निष्प्रभावी करते हुए	प्रस्तावानुसार प्रत्यायोजित शक्तियों का नियमानुसार संशोधित किया जाकर अनुमोदन किया गया।	FA

	एवं जारी किये गये आदेश क्रमांक 123 दिनांक 03.11.2007 के अनुसार प्रशासनिक व वित्तीय लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों को इनमें भविष्य में होने वाले सभी संशोधनों सहित लागू करने बाबत्।		
238.13	मृतक कार्मिक श्री शिवदेव सिंह, परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मृतक कार्मिक श्री शिवदेव सिंह, परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के आश्रित पुत्र श्री अभिषेक गुर्जर को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
238.14	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 33/11 के.वी. सब स्टेशन बनाये जाने हेतु निशुल्क भूमि के आवंटन के संबंध में।	राज्य सरकार द्वारा मण्डल स्तर से ही कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः प्रस्तावानुसार जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 33/11 के.वी. सब स्टेशन बनाये जाने हेतु निशुल्क भूमि के आवंटन हेतु अनुमोदन किया गया।	CEM
238.15	सामान्य भविष्य निधि की जमा एवं आहरण राशियों पर ब्याज दर में परिवर्तन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार सामान्य भविष्य निधि की जमा एवं आहरण राशियों पर ब्याज दर में प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
238.16	मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में स्थित झूलेलाल मार्केट की निस्तारण हेतु उपलब्ध शेष 352 दुकानों को वर्ष 2014–15 की आरक्षित दर स्थिर कर ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में स्थित झूलेलाल मार्केट की निस्तारण हेतु उपलब्ध शेष 352 दुकानों को वर्ष 2014–15 की आरक्षित दर स्थिर कर ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
238.17	इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर में विभिन्न अपार्टमेन्ट्स में उपलब्ध अनिस्तारित 97 फ्लेट्स तथा खान भांकरी रोड आवासीय योजना, दौसा में उपलब्ध विभिन्न आय वर्ग के 44 स्वतंत्र आवास तथा 61 फ्लेट्स को बाजार दर के अनुसार 0–25 एवं 0–50 प्रतिशत की छूट की स्लैब में, रखा जाकर ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव संख्या 238.17 से 238.23 तक के प्रस्ताव में वर्णित अनिस्तारित आवासों में छूट देने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये राज्य सरकार को Post facto अनुमोदन हेतु लिखे जाने का निर्णय लिया गया एवं समस्त ई–ऑक्शन एचडीएफसी के माध्यम से Online किये जाने का निर्णय किया गया।	CEM
238.18	राजस्थान आवासन मण्डल की खण्ड– झुंझुनू के अधीन चुरु आवासीय योजना तथा खण्ड–अजमेर के अधीन किशनगढ फैज चतुर्थ, किशनगढ विस्तार, दौराई अजमेर, गढी थोरियान ब्यावर एवं नसीराबाद आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के उपलब्ध अनिस्तारित 43 स्वतंत्र आवासों को बाजार दर के अनुसार 0–25 एवं 0–50 प्रतिशत की छूट की स्लैब में, रखा जाकर ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	निर्णय बिन्दु संख्या 238.17 के अनुरूप निर्णय लिया गया।	CEM

238.19	राजस्थान आवासन मण्डल को जोन तृतीय के अधीन वृत्त–अलवर एव वृत्त–कोटा के क्षेत्राधीन मण्डल की आवासीय योजनाओं में उपलब्ध अधिशेष आवास/फ्लेट् की वर्तमान लागत दर छूट के साथ ई–नीलामी द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति बावत्।	निर्णय बिन्दु संख्या 238.17 के अनुरूप निर्णय लिया गया।	CEM
238.20	राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर की मुक्ता प्रसाद नगर आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के 74 आवासों की अन्तिम लागत में छूट प्रदान करते हुये खुली बिक्री योजना/मोहर बन्द नीलामी द्वारा निस्तारण की स्वीकृति बाबत्।	निर्णय बिन्दु संख्या 238.17 के अनुरूप निर्णय लिया गया।	CEM
238.21	राजस्थान आवासन मण्डल, नागौर की डॉ. भीम राव अम्बेडकर आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के 454 आवासों की अन्तिम लागत में छूट प्रदान करते हुये खुली बिक्री योजना/मोहर बन्द नीलामी द्वारा निस्तारण की स्वीकृति बाबत्।	निर्णय बिन्दु संख्या 238.17 के अनुरूप निर्णय लिया गया।	CEM
238.22	राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त–उदयपुर की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के 161 आवास/फ्लेटों की लागत में छूट प्रदान करते हुये खुली बिक्री योजना/ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारण की स्वीकृति बाबत्।	निर्णय बिन्दु संख्या 238.17 के अनुरूप निर्णय लिया गया।	CEM
238.23	प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर में विभिन्न अपार्टमेन्ट्स में उपलब्ध अनिस्तारित 46 डुप्लेक्स आवास/फ्लैट्स एवं महला आवासीय योजना के विभिन्न आय वर्ग के 303 फ्लैट्स को बाजार दर के अनुसार 0–25 एवं 0–50 प्रतिशत की छूट की स्लैब में, रखा जाकर ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	निर्णय बिन्दु संख्या 238.17 के अनुरूप निर्णय लिया गया।	CEM
238.24	Selection of Transaction Adviser Cum financial Consultant for PPP Projects and Disposal of Housing Inventory with RHB, all over Rajasthan.	प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। इस हेतु निविदा जारी की जावे।	CE(HQ)
238.25	राजस्थान आवासन मण्डल स्तर पर मण्डल की योजनाओं में किसी भूखण्ड/आवास का एक से अधिक भागों में उपविभाजन एवं दो या दो से अधिक भूखण्डों/आवासों का पुनर्गठन एकीकृत भवन विनियम–2017 के अनुसार किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल विनियम–2017 को मण्डल की योजनाओं में भवन विनियमों एवं भूखण्डों/आवासों के उप विभाजन एवं पुनर्गठन के संबंध में राज्य सरकार स्तर पर जारी अधिसूचना/परिपत्र/आदेश के अनुसार किये जाने हेतु विधिवत प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिये गये।	ACTP

238.26	राजस्थान आवासन मण्डल की बोर्ड बैठक में परियोजना समिति की बैठक (143वीं से 155वीं तक) में लिये गये निर्णयों का अवलोकन एवं पुष्टि करवाये जाने बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि निदेशक (विधि) से परीक्षण कराने तथा आगामी संचालक मंडल की बैठक के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाऐ।	ACTP
238.27	आय वर्ग में में परिवर्तन करने के निर्णय के संबंध में।	आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आय वर्ग में परिवर्तन होने पर वर्तमान आय के अनुसार अपनी श्रेणी को बदलने की स्वीकृति दी गयी एवं संबंधित उप आवासन आयुक्त को अधिकृत किया गया।	CEM
238.28	मण्डल द्वारा एक शहर में एक से अधिक आवास/फ्लेट आवंटन करने के संबंध में।	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा एक शहर में एक से अधिक आवास/फ्लेट आवंटन करने के संबंध में निर्णय लिया गया एवं भविष्य में पति–पत्नी भी एक शहर में एक योजना में अलग–अलग आवास लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा अन्य पूर्व लम्बित प्रकरण भी गुणावगुण के आधार पर निष्पादित किये जावेगे। इस हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	CEM
238.29	नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिड स्वीकृति के लिये नीलामी समिति एवं आवासन आयुक्त को प्रदत्त अधिकार, 7075 अधिशेष आवास/फ्लेट्स की ऋणात्मक ई–ऑक्शन योजना हेतु संबंधित उप आवासन आयुक्त में निहित किये जाने बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
238.30	राजस्थान आवासन मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर विस्तार योजना, जयपुर के सेक्टर 1, 2, 3 एवं व्यवसायिक कॉम्पलेक्स (494 शॉपस्) के बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु रुपये 1527.50 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कार्य विभाजन के अनुमोदन बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार कार्य विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-I
238.31	फुड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट, उदयपुर को सविना खेडा योजना, उदयपुर में भूमि आवंटन के संबंध में।	विचार–विमर्श उपरान्त यह तथ्य सामने आया कि प्रासंगिक संस्था को निःशुल्क भूमि आवंटन करने से राजस्थान आवासन मण्डल के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तथा मंडल की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त स्थिति राज्य सरकार को अवगत कराते हुऐ राज्य सरकार से पुनर्विचार करने हेतु निवेदन किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
238.32	राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर के वी.टी. रोड स्थित वाणिज्यिक भू–पट्टी 'बी' स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या बी–1 पर आवासन मण्डल एवं निजी विकासकर्ताओं	प्रस्तावानुसार संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) के रुप में परियोजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा संयुक्त उपक्रम हेतु निजी विकासकर्ता के चयन के लिये बिड प्रपत्र अनुमोदित किये गये।	CE-I

	के साथ संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) के माध्यम से उच्च आय वर्ग के फ्लेट्स का निर्माण एवं बिड प्रपत्र के अनुमोदन बाबत्।		
238.33	इन्दिरा गांधी योजना, जयपुर के सेक्टर–8, स्थित कंचनजंघा अपार्टमेन्ट में डॉ. सौरभ वशिष्ठ एवं श्रीमती तनुश्री गौड को पति पत्नी के रुप में अलग–अलग आवंटित फ्लेट्स बाबत्।	बिन्दु संख्या 238.28 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इस बिन्दु पर कार्यवाही की जाऐ एवं मण्डल द्वारा गलत पते पर पत्राचार करने के कारण आवंटी द्वारा देय शास्ती माफ किए जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
238.34	राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना जयपुर स्थित द्वारका अपार्टमेंट ब्लॉक 'एच' के मध्यम आय वर्ग 'ब' के 36 (एस+9) फ्लैट्स व प्रताप नगर आवासीय योजना जयपुर स्थित प्रताप अपार्टमेंट, सेक्टर–29 के उच्च आय वर्ग–प्रथम व उच्च आय वर्ग–द्वितीय के 70 (एस+10) फ्लैट्स तथा चिनाब अपार्टमेंट, सेक्टर–28 के मध्यम आय वर्ग 'अ' के 105 (जी+3) फ्लैट्स को सीआरपीएफ (CRPF) द्वारा फ्लैट्स की खरीद करने की सहमति पर वर्ष 2019–20 की लागत में अतिरिक्त छूट के प्रस्ताव अनुमोदन बाबत।	विचार विमर्श के पश्चात सीआरपीएफ को द्वारका अपार्टमेन्ट के ब्लॉक 'एच' के 36 आवासों को पूर्ण मूल्य पर तथा शेष अन्य आवासों को 10 प्रतिशत की छूट देते हुये आवंटन की स्वीकृति दी गयी।	CEM
238.35	मण्डल में कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मचारियो / अधिकारियों के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण के संबंध में।	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मण्डल में कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारियों के लिए चिकित्सा व्यय पुनर्भरण हेतु स्वीकृत अस्पतालों की वर्तमान में प्रचलित अलग–अलग सूची के स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के पुनर्भरण हेतु Empaneled अस्पतालों की सूची ही सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारियों के लिये चिकित्सा व्यय पुनर्भरण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	FA

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(राजीव जैन)
सचिव